# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री सन्दीप कुमार को राजसमंद जिला आवंटित किया गया था। श्री सन्दीप कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 13074/2020 संदीप कुमार व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.01.2021 के अनुसरण मे याचिकार्थी अमित कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 मे चयनोपरान्त विभाग द्वारा गृह जिला/चाहा गया जिला श्रीगंगानगर आवंटित न कर अन्य जिला आवंटन किया गया है। याचिकार्थी के कथनानुसार जिला परिवर्तन हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है, किन्तु उक्त परिवेदनाओ पर विचार नहीं किया गया। याचिकार्थी द्वारा निम्नलिखित जिले मे पदस्थापन की मांग की गई है

| क्र.सं. | याचिका संख्या | नाम | गृह नगर/चाहा गया जिला | पदस्थापित स्थान/जिला |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13074/2020 | सन्दीप कुमार | श्रीगंगानगर | सीबीईओ रेलमगरा, राजसमन्द |

माननीय न्यायालय द्वारा गृह जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री सन्दीप कुमार द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार राजसमंद जिला आवंटित किया गया था।

जिला आवंटन के समय विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही जिला आवंटन काउन्सलिंग प्रक्रिया के द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो मे याचिकार्थियों को जिलो का आवंटन किया गया था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

शासन के निर्देशानुसार ही दिनांक 27.06.2020 को जिला आवंटन हेतु हेतु विशेष श्रेणियों का निर्धारण कर यथा सर्वप्रथम विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/ भूतपुर्व सैनिक /शहीद सैनिक आश्रित/पति–पत्नी प्रकरण/एकल महिला/सामान्य महिला/अन्य अभ्यर्थियो को निम्नानुसार श्रीगंगानगर जिला आवंटन किया गया है –

| श्रेणियां जिनमे रिक्त सीटों का आवंटन किया | श्रीगंगानगर जिले मे रिक्तियो का आवंटन |
|---|---|
| विकलांग | 07 |
| परित्यक्ता | 0 |
| एकल महिला | 87 |
| भूतपुर्व सैनिक | 01 |
| पति–पत्नी प्रकरण/कोई एक पूर्व मे राजकीय सेवा मे हो | 04 |
| सामान्य महिला | 55 |
| अन्य शेष अभ्यर्थी | 74 |
| योग | 228 |

जिला आवंटन के पश्चात कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने पर अभ्यर्थियो को तत्समय विभाग के पास उपलब्ध पदों के अनुसार उनके पूर्व पदस्थापन जिले परिवर्तित किये गये। लेकिन विभाग के पास कुछ जिलों में पदों की अनुपलब्धता के कारण सभी कार्मिकों को उनके गृह जिले/इच्छित जिले में पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है।

किसी कार्मिक द्वारा गृहनगर/इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष मे इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था, राज्य हित व लोकहित को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, याचिकार्थी द्वारा गृह जिले मे पदस्थापन की मांग कनिष्ठ सहायक रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण तदनुसार द्वारा याचिकार्थी सन्दीप कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/कनिसहा.2018/13074/2020/14 दिनांक – 22-2-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/ 29833/2021/2 दिनांक 02.02.21
2. ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबधित जिशिअ मु.मा.शि. राजसमंद को निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यावेदन संबंधी निर्णय से कार्मिक को अवगत करावे।
4. सन्दीप कुमार कनिसहा. सीबीईओ राजसमन्द
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर